

न्यायालय अति. कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 04/2015
GCMS No. 2015/00060

दायरा दिनांक 25.06.2015

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

रामपाल पुत्र आनन्दीलाल जाति धाकड़ निवासी गीगचा तहसील किशनगंज, जिला-बारां।
- प्रार्थी

बनाम

1. बंशी पुत्र गोपीलाल जाति कालबेलिया निवासी गीगचा तहसील किशनगंज, जिला-बारां
- अप्रार्थीगण
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला-बारां।

उपस्थित

1. श्री रामकिशन नागर, अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री भगवानलाल नरवरिया, अभिभाषक अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज.कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 निरस्त किये जाने बाबत।

निर्णय

दिनांक 19.11.2024

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं अप्रार्थीगणों की तलबी की गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वांके ग्राम गीगचा तहसील किशनगंज के माल की आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मुकाम ग्राम पंचायत सिमलोद पर दिनांक 10.01.2008 को अप्रार्थी क्रम 1 के नाम आवंटन कर दी गई है। भू आवंटन समिति द्वारा आवंटन से पूर्व आवंटन बाबत गांव में कोई मुश्तरी नहीं करवाई गई है, न इस बाबत सूचना ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। न ही ढोल से गांव में मुनादी करवाई गई है और न ही ग्राम के भूमिहीन व्यक्तियों की कोई सूची बनाई गई है।

आवंटन शुदा भूमि पर प्रार्थी का आवंटन से पूर्व व वक्त आवंटन कब्जा काश्त था उक्त भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं थी उस पर वक्त आवंटन भी प्रार्थी का ही कब्जा काश्त था, पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर भू आवंटन सलाहकार समिति ने बिना जांच किये अवैधानिक रूप से उक्त भूमि को अप्रार्थी क्रम 1 के नाम गलत रूप से आवंटन कर दी है। उक्त आवंटन अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर प्रार्थी को सन् 1966 से आज तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में खसरा नम्बर 48 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा आराजी प्रार्थी के नाम दिनांक 20.06.1966 को आवंटन हुई थी जिसका इन्तकाल नम्बर 10 दिनांक 24.09.1970 को तस्दीक कर प्रार्थी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई थी तथा दिनांक 08.09.1974 को उक्त आवंटन निरस्त कर उक्त आराजी को अमरलाल पुत्र देवलाल जाति बैरवा निवासी गीगचा के नाम आवंटन कर दी गई थी। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु राजस्व अपील अधिकारी कोटा के यहां अपील बउनवान रामपाल

बनाम अमरलाल मिसल नम्बर 401/87 पेश की थी, उक्त अपील का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.1993 को पारित किया जाकर प्रार्थी की अपील स्वीकार की गई थी उक्त आवंटन बहक अमरलाल निरस्त किया गया है तथा अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा 1966 से मानकर उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम नियमन किये जाने के आदेश दिये गये थे।

भू-आवंटन सलाहकार समिति द्वारा निर्णय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा की अवहेलना करते हुये उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम नियमन नहीं करके दिनांक 15.04.06 को असगर अली पुत्र शमशाद अली मुसलमान निवासी गीगचा एवं कमला बाई पत्नि रामकिशन मेहतर निवासी सिमलोद के नाम आवंटन कर दी गई। प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद में उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र जिसका क्रमांक 9/06 बउनवान रामपाल बनाम असगर अली तथा पत्रावला क्रमांक 10/06 रामपाल बनाम कमला बाई के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन निरस्त करने हेतु पेश की थी जिस पर न्यायालय द्वारा दोनो प्रार्थना पत्रों का निर्णय दिनांक 26.12.06 को पारित कर असगर अली व कमलाबाई दोनो का आवंटन निरस्त किया गया था तथा निर्णय में प्रार्थी का कब्जा 1966 से बदस्तुर माना गया है तथा उक्त न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी के नाम उक्त आराजी को नियमन करने के निर्देश दिये गये हैं।

आवंटन निरस्त होने व प्रार्थी का कब्जा उक्त आराजी पर 1966 से राजस्व अभिलेखो एवं न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद के निर्णय से प्रमाणित है इसके बावजूद भी आवंटन समिति द्वारा ग्राम गीगचा की आराजी खसरा नं. 48 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा उक्त निर्णय की पालना न कर पुनः गैरकानूनी रूप से अप्रार्थी के नाम दिनांक 10.1.08 को आवंटन कर दी गई है। उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से व कानूनी प्रावधानो से विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त आराजी पर प्रार्थीयां का कब्जा 1966 से बदस्तुर आज तक निरन्तर चला आ रहा है। आवंटी का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा राजस्व अभिलेखो एवं उपरोक्त न्यायालय के निर्णय से भी प्रार्थी का कब्जा काशत उपरोक्त आराजी पर प्रमाणित है इस कारण उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। आराजी में गत वर्ष भी प्रार्थी ने फसल बोई व काटी है तथा इस वर्ष भी हांक जोत कर फसल बोने के लिये तैयार की हुई है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी का कभी भी कोई कब्जा काशत नहीं रहा है। उक्त आवंटन उक्त भूमि खाली नहीं थी व प्रार्थी के कब्जे काशत में थी ऐसी अवस्था में उक्त आवंटन विधि के मान्य सिद्धान्तो के व आवंटन नियमों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।


विद्वान वकील अप्रार्थी का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति वमुकाम सिमलोद द्वारा दिनांक 10.01.2008 को बांके ग्राम गीगचा की आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी का उक्त आवंटन उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं था। पूर्व में यदि कोई कब्जा रहा भी होगा तो प्रार्थी अतिक्रमी होने से बेदखल कर दिया गया तथा उक्त आवंटन भूमि खाली थी आवंटन समिति द्वारा सरकारी भूमि जो आवंटन योग्य थी कि रिपोर्ट तहसील से नियमानुसार मांगने पर सरकारी भूमि की रिपोर्ट आवंटन समिति के पास आने पर अप्रार्थी जो उसी गांव व पंचायत का निवासी होने तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन होने तथा आवंटन नियमों की पालना करके ही किया गया है आवंटन शुदा भूमि पर नियमानुसार दखल दिया गया है। प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्य मनगढ़ होने से उसका प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान में आवंटन शुदा भूमि पर बतौर खातेदार हूँ प्रार्थी के दिल में बदनीयती आ गई है और मनगढ़त व निराधार तथ्यों पर आधारित इस प्रार्थना पत्र की आढ में उक्त आराजी को हडपना चाहता है प्रार्थी का उक्त आवंटन शुदा भूमि पर कभी भी एकक्षण के लिए भी कब्जा काशत नहीं रहा है। अप्रार्थी को महज रंजीशन गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। विद्वान वकील प्रार्थी का यह कथन कि उक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी तथा प्रार्थी का वर्ष 1966 से ही कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार प्रार्थी को कब्जे के आधार पर ख0 नं0 48 की 9 बीघा 3 बिस्वा आराजी दिनांक 20.06.66 को आवंटित की गई थी तथा इन्तकाल नं0 10 दिनांक 28.09.70 से विवादित आराजी प्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी परन्तु जिलाधीश कोटा के आदेश दिनांक 8.9.74 से यह आवंटन निरस्त कर दिया गया। विद्वान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा ने अपने निर्णय में ये निर्देश दिये थे कि आवंटन की दिनांक से लगातार अपीलान्ट का कब्जा पाया जावे अथवा

रेस्पॉण्डेंट को वक्त आवंटन अपीलान्त का कब्जा पाया जावे तथा अपीलान्त आवंटन की पात्रता रखता हो तो उसके पक्ष में किया गया आवंटन बहाल रखा जावे। परन्तु इस निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया प्रार्थी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

जहाँ तक खं0 नं0 48 पर प्रार्थी को पुराना कब्जा चले आने के कारण विवादित भूमि प्रार्थी को ही आवंटित होने का प्रश्न है प्रार्थी ने वक्त आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो तथा आवंटन कमेटी द्वारा उसको अस्वीकार कर दिया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आवंटी के विद्वान वकील द्वारा वहस के दौरान कहा था कि खं0 नं0 48 पर पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थी को पूर्व में 10 बीघा भूमि आवंटन हो चुकी है तथा कब्जे के उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर खं0 नं0 48 की शेष भूमि पर भी प्रार्थी आवंटन कराना चाहता है। इस सम्बन्ध में खं0 नं0 48 की आराजी की रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार रामपाल पुत्र परसादीलाल धाकड के नाम 10 बीघा भूमि आवंटन पूर्व में हो चुकी है। आवंटी के विद्वान वकील ने यह भी बताया कि रामपाल पुत्र आनन्दीलाल एवं रामपाल पुत्र परसादीलाल एक ही व्यक्ति है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार किशनगंज से रिपोर्ट चाही गई थी रामपाल पुत्र आनन्दीलाल एवं रामपाल पुत्र परसादीलाल एक ही व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं इस पर तहसीलदार किशनगंज ने नायव तहसीलदार नाहरगढ़ एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जाकर अवगत कराया कि रामपाल पुत्र परसादीलाल नाम का कोई व्यक्ति ग्राम गीगचा में नहीं रहा है। बल्कि रामपाल के पिता का नाम आनन्दीलाल ही है। इस बात का खण्डन प्रार्थी के विद्वान वकील के द्वारा भी नहीं किया। प्रार्थी आवंटन की पात्रता रखता है इस सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। आवंटन फार्म के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी को पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति के कोरम द्वारा मजमे आम में अप्रार्थी को उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। इस प्रकार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.01.08 को अप्रार्थी कम 1 बंशी पुत्र गोपीलाल जाति कालवेलिया निवासी गीगचा तहसील किशनगंज को उक्त भूमि का किया गया आवंटन उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10.01.08 को अप्रार्थी बंशी पुत्र गोपीलाल जाति कालवेलिया निवासी गीगचा तहसील किशनगंज को ग्राम गीगचा की आराजी खसरा नं. 48 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(जबर सिंह)
अतिरिक्त कलक्टर
शाहबाद (बारा)